राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प. 6(1)प्र.सु./अनु.–1/2013 जयपुर, दिनांकः 19 फरवरी, 2013

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा की गई घोषणा की अनुपालना में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 1.11.2012 को एन.आई. सी द्वारा विकसित ई–ऑफिस साफ्ट्वेयर लागू किया जा चुका है।

इस संदर्भ में प्रथम चरण में सम्मिलित शासन सचिवालय के निम्न विभागों में पत्र प्राप्ति (Dak Receipt) और पत्रावली के संचरण (File Movement) (आवक–जावक) से संबंधित समस्त कार्य तथा पत्र एवं पत्रावली प्रेषण (Dispatch) कार्य ई–ऑफिस के माध्यम से किये जाने के निर्देश जारी किये जाते है :–

1. मुख्यमंत्री कार्यालय
2. मुख्य सचिव कार्यालय।
3. कार्मिक विभाग।
4. सामान्य प्रशासन विभाग।
5. प्रशासनिक सुधार विभाग।
6. राजस्व विभाग।
7. ग्रामीण विकास विभाग।
8. पंचायती राज विभाग।
9. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
10. गृह विभाग।
11. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
12. न्याय विभाग।
13. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग।
14. सार्वजनिक निर्माण विभाग।
15. सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।

इन सभी विभागों में वर्तमान में प्रचलित डाक रजिस्टर, पत्रावली रजिस्टर आदि के स्थान पर ई–ऑफिस साफ्ट्वेयर से जनित डाक रजिस्टर, पत्रावली रजिस्टर आदि पंजिकाओं का उपयोग किया जाये। ई–ऑफिस साफ्ट्वेयर से जनित डाक रजिस्टर, पत्रावली रजिस्टर आदि पंजिकाओं के प्रारूप संलग्न है। यह प्रणाली दिनांक **12.12.2012** से शुरू की गई है, अतः इसे विभाग के सचिवालय स्थित कार्यालय के सभी अनुभागों में लागू करना सुनिश्चित करें।

साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में पत्रावली (कार्यालय टिप्पणी व पत्राचार भाग) का संधारण भी ई–ऑफिस साफ्ट्वेयर के माध्यम से कम्प्यूटर में किया जाना है।

ई–ऑफिस साफ्ट्वेयर से जनित आवक–जावक रजिस्टर, पत्रावली संचरण रजिस्टर व पत्रावली (ई–पत्रावली) को मान्यता प्रदान की जाती है।

(सी.एम.मीणा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (पुलिस) विभाग।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
6. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
9. प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंध एवं सहायता विभाग।
10. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
11. प्रमुख शासन सचिव, न्याय विभाग।
12. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

(आर0सी0गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव